



॥ श्री ॥

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प उज्जैन, म.प्र.

प्रकरण क्रं.

/2015-16 निगरानी

R 3965 & P 16

नेत्रपालसिंह पिता संत सिंह, आयु लगभग 80 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी-ग्राम पानबिहार तहसील घट्टिया जिला उज्जैन

.....आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 05-11-18
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरुद्ध

1. बलवीरसिंह पिता उदयसिंह
2. विजय सिंह पिता उदयसिंह
3. अमरसिंह पिता उदयसिंह
4. श्यामसिंह पिता दीवानसिंह
- ✓ 5. विजेन्द्र सिंह पिता दीवानसिंह
6. सुखवीरसिंह पिता दीवानसिंह
7. दीवानसिंह पिता प्रतापसिंह,

निवासीगण-ग्राम पानबिहार तहसील घट्टिया
जिला उज्जैन

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 796/15-16 में पारित आदेश दिनांकित 04.10.2016 से असंतुष्ट व दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3963-Pr2/16 जिला Ujjain

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.8.2017	<p>आवेदक की ओर से कोई भी उपाह्वित नहीं। आगवेदक पृष्ठ 5 की ओर से प्रेम जोशी अभिभाषक उपाह्वित। यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश क्रमांक 4.10.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके बावजूद अपर आयुक्त बावू स्वयं आवेदन पर निरस्त किया गया है। यह निगरानी लगभग 1 वर्ष से ग्राह्यता पर सुनवाई छूटे जा चुके हैं। अतः अब इसे प्रचारित दरबनों का आर्चिव नहीं होने से आवेदन की जाती है।</p> <p>2/ आवेदक अपर आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं।</p>	<p>कृपा. प. उ. अभिभाषक प्रेम जोशी</p> <p>17-8-17</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]